आदेश की क्रम सं० एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित

न्यायालय, श्रीमती मनीषा तिर्की,विशेष विनियमन पदाधिकारी, राँची।

एस०ए०आर० वाद सं०-38/16-17

(1) सुरजु लोहरा, वो नारायण लोहरा, दोनो पिता एतवा लोहरा वो (2) रमेश लोहरा, पिता स्व० क्रिस्टो लोहरा, (3) सुकरा लोहरा, पिता कार्तिक लोहरा, जाति लोहरा, निवास ग्राम–मधुकम, थाना सुखदेवनगर, जिला राँची ... प्रथम पक्ष गण।

बनाम

शकुन्तला देवी, पति स्व० सुरेश प्रसाद साहू, निवास ग्राम–मधुकम, थाना सुखदेवनगर, जिला राँची। .... द्वितीय पक्ष।

आदेश

25-11-22

प्रथम पक्ष गण (1) सुरजु लोहरा, वो नारायण लोहरा, दोनो पिता एतवा लोहरा वो (2) रमेश लोहरा, पिता स्व० क्रिस्टो लोहरा, (3) सुकरा लोहरा, पिता कार्तिक लोहरा, जाति लोहरा, निवास ग्राम–मधुकम, थाना सुखदेवनगर, जिला राँची द्वारा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 71"A" के अंतर्गत जमीन वापसी हेतु यह वाद दायर किया गया है।

प्रथम पक्षगण ने आरोप लगाया है कि उनकी निम्नांकित जमीन द्वितीय पक्ष शकुन्तला देवी, पति स्व० सुरेश प्रसाद साहू, निवास ग्राम–मधुकम, थाना सुखदेवनगर, जिला राँची द्वारा छल प्रपंच से हड़पकर दखल कर लिया है।

जमीन का विवरण

ग्राम	थाना नं0	खाता नं0	प्लॉट नं0	रकबा
मधुकम	204	54	675	1.18 ए०

कृ०पृ०उल्टे

आवेदकगण ने अपने आवेदन एवं शपथ पत्र में उल्लेख किया है कि प्रश्नगत जमीन आर॰एस॰ खतियान में भाकु लोहार वल्द माधो लोहार कौम लोहार के नाम से दर्ज है। लगान रसीद किसुन लोहार वगै॰ के नाम से निर्गत होता आ रहा है। द्वितीय पक्ष अपने लिखित ब्यान में कहा है कि उपरोक्त जमीन पूर्व में खतियानी रैयत के उत्तराधिकारी अपने को आदिवासी बताकर जमीन वापसी का केश कर चुके हैं, जिसका वाद सं॰–88/77 है, और दिनांक–05.07.78 को भू–वापसी हेतु श्री आर॰पी॰सिन्हा, तत्कालीन विशेष विनियमन पदाधिकारी के न्यायालय में भू–वापसी का आदेश पारित किया गया। अतः वाद की पुनः सुनवाई प्रिंसिपल ऑफ रेस–जुडीकाटा के प्रावधान के अर्न्तगत खारिज योग्य है। सी॰पी॰सी॰ की धारा 11 के अनुसार यह वाद पुनः सुनवाई के योग्य नहीं है।

उपरोक्त तथ्यों से यह स्पष्ट है कि प्रश्नगत भूमि पर पूर्व में भी छो०का० अधिनियम 1908 की धारा 71"A" के तहत एस०ए०आर०वाद सं०–88/77 दायर किया गया था, जिसपर दिनांक–05.07.1978 को उपरोक्त वर्णित भूमि पर तत्कालीन विशेष विनियमन पदाधिकारी, राँची द्वारा आदेश पारित किया जा चुका है। नियमानुसार संबंधित पक्ष द्वारा इस आदेश के विरूद्ध सक्षम न्यायालय में अपील दायर किया जाना चाहिए था। पुनः धारा 71"A" के तहत वाद समकक्ष न्यायालय में ही दायर किया गया है, जो रेस जुडीकाटा (Res-Judicata) से प्रभावित है। अतः यह वाद खारिज किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

25/11/22

विशेष विनियमन पदाधिकारी,
राँची।

Digitally signed by MANISHA TIRKEY
Date: 2025.05.31 14:57:25 +05:30
Location: 192.168.206.39

25/11/22

विशेष विनियमन पदाधिकारी,
राँची।